website

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विषय :– राजस्थान सरकार के संकल्प पत्र/घोषणा पत्र अनुसार एनआरएचएम प्रबन्धकीय संवर्ग एवं मनरेगा सहित सभी विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को समायोजित करने की मांग के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :– आपके कार्यालय डायरी कमांक कमांक 1883/5 दिनांक 31.3.14

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र में जिला अध्यक्ष, राजस्थान एनआरएचएम (प्रबन्धकीय) कार्मिक समस्या समाधान समिति ने घोषणा पत्र अनुसार एनआरएचएम मनरेगा एवं अन्य सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों के संबध में दस्तावेज मांगा गया थाँ जिसमें समस्त संविदाकार्मिकों को समायोजित किया जाना था। बोनस अंको पर आधारित भर्ती प्रकिया में 75 से 80 प्रतिशत संविदा कार्मिक भर्ती प्रकिया से बाहर हो जायेंगे। समस्त विभागों के संविदा कार्मिकों की भर्ती प्रकिया पूर्ण नही हो जाती तब तक नियमित कार्मिकों की तरह समान वेतन व अन्य भत्ते दिये जाने का अनुरोध किया है।

14/5/14

इस संदर्भ में निवेदन है कि राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधिनस्थ सेवा नियम, 1998 संशोधित 2013 में कनिष्ट अभियन्ता एवं अन्य रिक्त पदों को निर्धारित प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती से ही भरे जाने का प्रावधान है ।

उक्त प्रावधान अनुसार विभाग द्वारा विज्ञप्ति कमांक 981, 982 दिनांक 25.3.13 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता के 2186, सहायक कार्यकम अधिकारी के 249, कम्प्युटर अनुदेशक(पंरा) के 460, अकाउन्ट्स असिस्टेन्ट के 1870, कोर्डिनेटर ट्रेनिंग के 54, कोर्डिनेटर आई.ई.सी. के 44 एवं कोर्डिनेटर सुपरविजन के 50 पदों को भरने हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये ।

उक्त पदों हेतु ऑन लाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में से वरियतानुसार आवेदकों को बुलाया जाकर दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही की जा चुकी है परन्तु अनुभव आधारित दिये जाने वाले 10, 20 एवं 30 अंक जोडे जाने के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अनुभव आधारित उक्त अंकों को

उचित नहीं माना जाकर अधिकतम 15 अंक जोडे जाने के सम्बन्ध में निर्णय दिया गया ।

उक्त निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर की हुई है । इसके साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 व उसके तहत 1996 के नियम बने होने के कारण संविधान के अनु. 309 के तहत सरकार को इस दायरे में आने वाली जेईएन सहित अन्य सेवाओं के लिए नये नियम बनाने का अधिकार नहीं बताते हुए वर्ष 1998 में बनाए गये नियमों को वैद्य नहीं माना है, जिसके विरूद्ध भी सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर करने की कार्यवाही विचाराधीन है । अतः उक्त एस.एल.पी. के निर्णय के उपरान्त ही भर्ती संबंधी कार्यवाही किया जाना संभव होगा ।

भवदीय,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त सचिव (प्रशा.2)

सहायक शासन सचिव,
जन अभियोग निराकरण विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर ।

अ.शा. टीप क्रमांक एफ 7010/परावि/प्रशा.2/क.अ./सी.भ.13/सीएमप्र/14/पार्ट/1504
जयपुर, दिनांक :- 16/05/14

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को उनके कार्यालय की डायरी क्रमांक 2282 दिनांक 1.5.14 के संदर्भ में ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग को उनके कार्यालय की डायरी क्रमांक 2748 दिनांक 1.5.14 के संदर्भ में ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा को जिला अध्यक्ष, राजस्थान एनआरएचएम (प्रबन्धकीय) कार्मिक समस्या समाधान समिति से प्राप्त पत्र की फोटोप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।
4. गार्ड फाईल ।

99

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त सचिव (प्रशा.2)